

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/
प्रार्थी

2281
बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 31/07/23

1 दाना पुत्र सवा जाति
रवारी निवासी सुजाननगर
जूना पतरासर तहसील व
जिला बाड़मेर।


1 भीमाराम 2 लाधूराम 3 मेवाराम 4 तेजाराम 5 सगरामराम पिसरान
रतनाराम 6 चुनीदेवी पत्नी रतनाराम 7 बेचराराम पुत्र सवाराम 8
रतनाराम 9 वगताराम 10 मूलाराम पिसरान रूपाराम 11 कनका
पत्नी रूपाराम 12 पूनमाराम 13 हरीयाराम पिसरान आसूराम 14
रामाराम पुत्र शिरदाराराम 15 तुलसी पत्नी शिरदाराराम जाति रवारी
निवासी सुजाननगर जूना पतरासर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 342/2022

दिनांक- 21/07/23

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सुजान नगर पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 903/482 रकबा 1.6268 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फराल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
SDO बाड़मेर

दिनांक- 31/07/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 2282-85
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. दाना पुत्र सवा जाति रवारी निवासी सुजाननगर जूना पतरासर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भीमाराम पुत्र रतनाराम वगैरह जाति रवारी निवासी सुजाननगर जूना पतरासर तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर